**<u>न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01 दौसा, जिला दौसा</u>**
**पीठासीन अधिकारी– सीमा करोल,आर.जे.एस.**
(UID No. RJ00828)

**नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या– 398/2016**
**सीआईएस संख्या–3437/2020**
**सीएनआर संख्या– RJDS020011902016**

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, प्रथम, दौसा, जिला दौसा, राजस्थान ।

**बनाम**

1–बच्ची देवी पत्नि रामप्रताप निवासी ग्राम बुडली पुलिस थाना सिकन्दरा जिला दौसा।
2–रामप्रताप पुत्र हड्डूराम **(फौत कार्यवाही ड्रॉप दिनांक 03–02–2024)**
3–मुकेश पुत्र रामप्रताप **(मफरूर दिनांक 04–10–2024)**

**–अभियुक्तगण**

**<u>अपराध अंतर्गत धारा 498(ए), 406 भारतीय दण्ड संहिता</u>**

**<u>उपस्थिति:–</u>**
01. विद्वान अभियोजन अधिकारी,प्रथम, राज्य की ओर से।
02. विद्वान अधिवक्ता श्री मानसिंह पाटोली, अभियुक्ता की ओर से

**<u>निर्णय</u>** **दिनांक: 06/04/2026**

1. उक्त प्रकरण में अभियुक्त रामप्रताप की मृत्यु होने से दिनांक 03–02–2024 को कार्यवाही ड्रॉप की गयी। अन्य अभियुक्त मुकेश को दिनांक 04–10–2024 को मफरूर घोषित किया गया। प्रकरण में अभियुक्ता बच्ची देवी की हद तक निर्णय किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि परिवादिया ने दिनांक 27.03.2014 को परिवाद इस न्यायालय के समक्ष अभियुक्त मुकेश व अन्य के विरूद्ध इस आशय का पेश किया था कि परिवादीया ग्राम भगोरा की रहने वाली है एवम वर्तमान में प्रार्थीया दौसा में पिछले 2 वर्ष से अधिक समय से स्थाई रूप से निवास कर रही है। प्रार्थीया का विवाह 12 मई 2004 ई० को हिन्दू रीति रिवाज अनुसार ग्राम भगोरा के मुलजिम नम्बर 1 के साथ सम्पन्न हुआ था। प्रार्थीया की उम्र कम होने के कारण उस समय प्रार्थीया का गौणा सम्पन्न नहीं किया गया था। प्रार्थीया का गौणा 2010 ई० में सम्पन्न किया गया। प्रार्थीया के माता पिता ने अपनी हैसियत से बढकर विवाह किया था। विवाह में प्रार्थीया के माता पिता ने दहेज में दो सोने की अंगूठी चवन्नी भर, दो चांदी की अंगूठी चवन्नी भर, बाटा सोने का अठन्नी भर, सोने की एक तोला जंजीर, पायजेब चांदी की 25 भरी, कणकती 25 भरी चांदी की, पांच बर्तन एवम 21,000 /–रूपये नकद दिये थे एवम विवाह में 200 बाराती आये थे जिनकी खाने एवम व्यवस्था में लगभग एक लाख रूपये खर्च किये थे। उक्त वर्णित समस्त सामान जेवर रूपये आदि प्रार्थीया का स्त्रीधन है जो वर्तमान में मुलजिमान के कब्जे में है। सन 2013 में प्रार्थीया का गौणा रस्म सम्पन्न होने के पश्चात प्रार्थीया अपनी ससुराल बुडली रहने लग गई जहां करीब 15 दिन बाद ही मुलजिंमान प्रार्थीया के साथ मारपीट करने लग गये एवम

विवाह में कम दहेज लाने का ताना देने लग गये व कहा कि तेरे बाप ने दहेज में पैसे कम दिये है व अपने पिता के यहां से एक मोटरसाईकिल एवम एक लाख रूपये लाने का दबाव डालने लगे एवम जून 2010 में प्रार्थीया को उक्त मोटरसाईकिल एवम रूपये लाने के लिए मारपीट कर घर से निकाल दिया। प्रार्थीया अपने पिता के घर आ गई। करीब 15 दिन बाद प्रार्थीया का ससुर रामप्रताप एवम बुडली के पंच माधो गुर्जर एवम कन्हैयालाल गुर्जर निवासी छोकरवाडा आए तथा प्रार्थीया को समझा बुझाकर कि मुलजिमान अब न मारपीट करेंगे एवम ना ही कोई मांग करेंगे जिस पर प्रार्थीया के पिता व गांव वालो ने प्रार्थीया को समझाकर ससुराल भेज दिया लेकिन इसके बाद भी मुलजिमान का व्यवहार नहीं बदला व पहले की तरह दहेज की मांग करते रहे एवम प्रार्थीया को कई बार शारीरिक एवम मानसिक यातनाएं मुलजिम नम्बर एक ला० आठ द्वारा दी गई। मुलजिम नं0 7 एवम 8 भी भी बुडली आते दोनो प्रार्थीया के ससुराल वालो के प्रार्थीया को प्रताडित करने एवम दहेज मांगने हेतु भडकाते जिनके कहने पर ससुराल वाले ज्यादा प्रताडित करते। कई बार बुडली गांव के लोगो ने प्रार्थीया को बचाया व मुलजिमान को समझाया परन्तु मुलजिमान नहीं माने। उल्टा प्रार्थीया को अत्यधिक शारीरिक एवम मानसिक यातनाएं देना प्रारम्भ कर दिया व खाना भी समय पर नहीं दिया जाता था। प्रार्थीया को 5–6 दिन तक कमरे में बन्द रखा गया व कई बार खाना नहीं दिया गया व अपने पिता के यहां से एक लाख रूपये व मोटरसाईकिल लाने का दबाव डाला गया व गर्म चिमटे से हाथ दागा गया। प्रार्थीया किसी तरह मौका पाकर वहां से निकलकर दौसा गिर्राज धरण मन्दिर पर आई वहां से पुलिस वालो ने प्रार्थीया के पिता के मामा ग्राम बरखेडी सम्भलाया जहां से भगोरा पहुंची जिसका मुकदमा प्रार्थीया ने सिकन्दरा थाने में जरिये पुलिस अधीक्षक महोदय दौसा के दर्ज करवाया जिसके मुकदमा प्रथम सूचना संख्या 359/10 अ०धारा 498ए, 406, 143 ता०हि० है। पुलिस मे प्रकरण दर्ज होने के पश्चात मुलजिमान ने अपने बचाव के लिए एवम मात्र मुकदमें से बचने के उद्देश्य से साजिश एवम षडयंत्र के तहत अपने कुछ रिश्तेदारो को लेकर प्रार्थीया के गांव आये व अपने अपराध की क्षमा मांगी व भविष्य में दहेज न मांगने व मारपीट न करने का आश्वासन दिया। जिस पर उनके साथ आये रिश्तेदारो एवम गांव के कुछ लोगो ने प्रार्थीया के पिता पर राजीनामा करने हेतु दबाव डाला व आश्वासन दिया कि मुकदमा वापस लेते ही वे प्रार्थीया को वापस ससुराल बुडली ले जावेगे जिस पर प्रार्थीया के परिवारजन ने गांव समाज व रिश्तेदारो के कहने पर उक्त प्रकरण में राजीनामा पेश कर दिया। प्रकरण में राजीनामा होने व कोर्ट से प्रकरण समाप्त होने पर प्रार्थीया के परिवारजन ने मुलजिमान से प्रार्थीया को ले जाने व ससुराल में सम्मानपूर्वक रखने हेतु निवेदन किया परन्तु मुलजिमान प्रार्थीया को हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर टालते रहे व बाद में प्रार्थीया को बिना एक लाख रूपये व मोटरसाईकिल के रखने से स्पष्ट इन्कार कर दिया व कहा कि हमने राजीनामा तो मात्र मुकदमा समाप्त करवाने के लिए किया था। प्रार्थीया के परिवारजन व रिश्तेदारो ने मुलजिमान को समझाने का काफी प्रयास किया लेकिन मुलजिमान अपनी मांग पर अड़े रहे तब प्रार्थीया का ससुराल में रहना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं रहा तो प्रार्थीया ने जिला एवम सैशन न्यायाधीश महोदय दौसा के समक्ष तलाक हेतु आवेदन पेश किया जो वर्तमान में विचाराधीन है। तलाक याचिका पेश करने के पश्चात मुलजिमान का व्यवहार अत्यधिक क्रूर हो गया व उन्होंने ऐलानिया कहा कि वे

प्रार्थीया को जबरन उठाकर ले जावेगे व दो लाख रूपये में प्रार्थीया का अन्यत्र सौदा कर देंगे अथवा प्रार्थीया को जान से मार देंगे इस हेतु मुलजिमान ने अपने साथ अपने कुछ रिश्तेदारो व प्रार्थीया के गांव के मुलजिम नम्बर 9 ला० 13 से सांठगांठ कर दो बार ग्राम भगोरा से जीप में भरकर अपहरण का प्रयास किया व दौसा बस स्टेण्ड पर सभी मुलजिमान जीप में भरकर आये व प्रार्थीया का अपहरण करने का प्रयास किया तब प्रार्थीया के साथ मौजूद गिरधारी शम्भू व आस पडौस के लोगो ने बडी मुश्किल से बचाया व दिनांक 14 फरवरी 2014 को भी मुलजिमान ने तलाक के दावे में पेश के दौरान कोर्ट से बाहर प्रार्थीया का अपहरण करने का प्रयास किया तब भी प्रार्थीया ने किसी प्रकार भागकर अपनी जान बचाई। दिनांक 05–03–2014 की मुलजिमान दौसा स्थित प्रार्थीया के निवास स्थान पर आये व प्रार्थीया के पिता से दो लाख रूपये की मांग की व कहा कि तभी हम तलाक देंगे व पैसे न देने पर प्रार्थीया को अपहरण करने की धमकी दी जिस पर प्रार्थीया के पिता ने मुलजिमान को समझाने का काफी प्रयास किया लेकिन मुलजिमान नहीं माने व कहा कि या तो दो लाख रूपये हमे दो नहीं तो हम लडकी को जबरन उठाकर ले जावेगे व उसे कहीं भी बेचकर आसानी से 2–3 लाख रूपये प्राप्त कर लेंगे। तब प्रार्थीया ने अपना जेवर मांगा तो उसको भी देने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। उक्त परिवाद पर महिला थाना दौसा ने मुकदमा प्रथम सूचना संख्या 82/14 अ०धारा 498ए, 406, 323, 120बी, 364/511, 366/511 ता०हि० के तहत दर्ज रजिस्टर किया व बाद जांच प्रकरण में अदम वकू आमदन झूठ में एफ. आर. नम्बर 55/14 पेश की है, जिससे व्यथित होकर यह नाराजगी पिटीशन कम इस्तगासा पेश किया तथा अपने व गवाह रामेश्वर, शम्भूदयाल, केशन्ता के धारा 200 सीआरपीसी व 202 सीआरपीसी के बयान लेखबद्ध किये गये।

जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 04–07–2016 को मुकदमा संख्या 82/14 में प्रस्तुत एफआर संख्या 55/2014 अस्वीकार कर अभियुक्तगण मुकेश, रामप्रताप व बच्ची देवी के विरूद्ध धारा 498 ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्ता बच्ची देवी को धारा 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये समझाये गये, जिन्हें सुन व समझकर अभियुक्ता ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपित अपराधों को सिद्ध करने के लिये अभियोजन द्वारा मौखिक साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यू–1 शम्भूदयाल, पीडब्ल्यू–2 रामेश्वर, पीडब्ल्यू–3 सुशीला, पीडब्ल्यू–4 मनभावन, पीडब्ल्यू–5 केशन्ता को परीक्षित कराया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 लगा० प्रदर्श पी–3 को प्रदर्शित करवाया गया। तत्पश्चात् अभियुक्ता बच्ची देवी को धारा 313 दं०प्र०सं० के तहत परीक्षित कराया गया जिसमें अभियुक्ता ने अभियोजन साक्ष्य का गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

5. दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने कथन किया है कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त बच्ची

देवी को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जावे। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

1. Appabhai & Anr. Vs. State of Gujarat,
AIR 1988 SC 696

6. इसके विपरीत दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्ता का तर्क रहा कि प्रकरण में अभियुक्ता को गलत रूप से फंसाया गया है वह निर्दोष है। प्रकरण में स्वयं फरियादिया ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों का समर्थन नहीं किया है तथा मुख्य गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। अतः अभियुक्ता बच्ची देवी को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

7. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण के लिये न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह हैं किः–

(1) क्या आपने वर्ष–2023 में परिवादिया सुशीला देवी का गौणा होने के पश्चात परिवादिया के साथ और अधिक दहेज में एक लाख रूपये नकद व एक मोटरसाईकिल की मांग की और नहीं देने पर उसके साथ शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया एवं उसे अपने साथ रखने से इंकार किया एवं घर से निकाल दिया तथा आपने परिवादिया सुशीला देवी को विवाह के समय उसके पिता द्वारा दिये गये स्त्रीधन को बेईमानीपूर्वक आशय से दुर्विनियोग कर अपने उपयोग उपभोग में संपरिवर्तित कर लिया एवं परिवादिया के मांगने पर भी नहीं लौटाकर आपराधिक न्यासभंग कारित किया? इस प्रकार क्या अभियुक्त ने धारा 498(ए), 406 भा०दं०सं० के तहत दंडनीय अपराध कारित किया?

(2) यदि हाँ तो अभियुक्त के लिये उचित दण्ड क्या होगा ?

8. अभियोजन कहानी के अनुसार आपने वर्ष–2023 में परिवादिया सुशीला देवी का गौणा होने के पश्चात परिवादिया के साथ और अधिक दहेज में एक लाख रूपये नकद व एक मोटरसाईकिल की मांग की और नहीं देने पर उसके साथ शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया एवं उसे अपने साथ रखने से इंकार किया एवं घर से निकाल दिया तथा आपने परिवादिया सुशीला देवी को विवाह के समय उसके पिता द्वारा दिये गये स्त्रीधन को बेईमानीपूर्वक आशय से दुर्विनियोग कर अपने उपयोग उपभोग में संपरिवर्तित कर लिया एवं परिवादिया के मांगने पर भी नहीं लौटाकर आपराधिक न्यासभंग कारित किये जाने का आरोप है। इस संबंध अभियोजन की ओर से कुल 05 गवाहान को साक्ष्य अभियोजन में परीक्षित कराया गया है। प्रकरण में गवाह शम्भूदयाल पीडब्ल्यू–1 न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है जो अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ साक्ष्य देता है कि करीब 20 साल पहले की बात है। सुशीला की शादी मुकेश के साथ हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी। दहेज में पायजेब, चुटकी और छोटा–मोटा सामान और 21 हजार रूपये नगद दिये थे। सुशीला के साथ उसकी दूसरी बहन की भी शादी की थी। सुशीला नाबालिग थी तो 6–7 साल बाद उसका गोना कर दिया। गोने के समय सुशीला के पिताजी ने कपड़े वगैरह दिये। सुशीला

ससुराल चली गयी। उसके 2–3 महिने बाद उनके आपस में झगड़े होते रहे। लोगबाग दोनों पक्षों को समझाकर राजीनामा भी कर देते थे। मुकेश और मुकेश के पिताजी ने कहा कि हमें दहेज चाहिए तभी सुशीला को लेकर जायेंगे। सुशीला को मुकेश के पिताजी दहेज के लिये परेशान करते रहते थे।

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किये कि यह बात सही है कि मैंने उनके आपस में कहासुनी–झगड़ा होते हुए नहीं देखा। यह बात सही है कि मुकेश के पिताजी ने मेरे सामने कभी दहेज की बात नहीं की। मै मुकेश के घर एक बार ही गया था जब उनका संबंध हुआ तब। मै जब मुकेश के घर गया तब मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आयी। मुझे तो सुशीला के पिताजी ने जो बोला था वो ही बाते बताई है मेरे सामने न तो कोई दहेज की बात हुई और ना ही कोई मारपीट हुई।

9. गवाह पीडब्ल्यू–2 रामेश्वर है, जो मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि सुशीला मेरी बहन है। मेरी बहन सुशीला की शादी मुकेश के साथ हुई थी। शादी में हमने दो अंगुठी सोने की, दो चाँदी की अंगुठी, कपड़े, बरतन, फर्नीचर, तथा अन्य घरेलू सामान व 21 हजार रूपये नकद दिये थे। सुशीला का गौणा 2010 में किया था। सुशीला अपने ससुराल चली गयी। सुशीला थोडे दिन तो सही रही। फिर सुशीला का पति मुकेश, ससुर रामप्रताप, सास बच्ची देवी, देवर परेशान करते थे और कहते थे की दो लाख रूपये व मोटरसाईकिल लेकर के आ। सुशीला के साथ मारपीट करते थे। फिर सन् 2014 में मैं और शम्भुदयाल सुशीला के ससुराल गये तथा सुशीला के पति व सास ससुर, देवर को समझाया तो वो लोग बोले की दो लाख रूपये व मोटरसाईकिल दो तब ही रखेंगे। सन् 2010 में भी सुशीला ने दहेज का मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें गाँव वालो ने समझाईश कर राजीनामा करवा लिया था। सुशीला सन् 2014 के बाद से सुशीला पीहर में रह रही है और जो सामान विवाह के समय सुशीला को दिया था वो भी उसके ससुराल वालो ने रख लिया और मॉगने से मना कर दिया।

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि 6 माह से पता नहीं है कि सुशीला कहाँ पर रहती है। मुकेश ओर दो भाई है और मुकेश के पिताजी ओर चार भाई है। यह बात सही है कि शादी के बाद मुकेश को घरवालो ने अलग कर दिया था और मुकेश अलग रहने लग गया था। यह बात सही है कि सुशीला ने सन् 2010 में मुकदमा दर्ज करवा दिया था जो झुठा मुकदमा था। यह बात सही है कि मेरे सामने सुशीला से ना तो दहेज की माँग की ना ही कोई मारपीट की।

10. गवाह पीडब्ल्यू–3 सुशीला है जो अपने मुख्य परीक्षण में कथन करती है कि मेरी शादी 12 मई 2004 को मुकेश के साथ हुई थी। उसी दिन मेरी बहन कैशन्ता की शादी बदन सिंह के साथ हुई थी दोनों बहनों की शादी एक साथ करी थी। शादी में मेरे पिताजी ने दो सोने की अंगुठी, दो चाँदी की अंगुठी, दो पायजेब, कनकती, एक तोले की सोने की जंजीर दी थी। उसके अलावा 5 बर्तन तथा 21000 रूपये नकद दिये थे दो सौ बाराती आये थे उसमें एक लाख रूपये का खर्च हुआ था। उसके बाद मेरा गौना सन 2010 में हुआ ओर मैं अपने ससुराल चली गयी। वहाँ पर मेरे ससुराल में मुझे दहेज के लिए मेरा पति मुकेश, पप्पु, बनेसिंह, लक्ष्मण, सास बच्ची सभी मेरे साथ मारपीट करने लगे तथा दहेज में एक लाख रूपये

व मोटरसाईकिल लाने की मॉग करने लगे। उसके बाद सन 2010 में मुझे उक्त लोगों ने मारपीट करके घर से निकाल दिया ओर मैं अपने पीहर आ गयी। वहाँ 15 दिन बाद मेरा ससुर रामप्रताप व अन्य लोग पंचायत लेकर मेरे गाँव भगोरा पहुंचे वहा पर उन्होंने अपने किये की क्षमा माँगी ओर बोले की हम दूबारा मारपीट नहीं करेंगे ना ही कोई दहेज की माँग करेंगे। पंचों को साक्षी मानकर मुझे समझाबुझा कर मेरे ससुराल वापस ले गये। उसके बाद उनका रवईया नहीं बदला ओर मेरे साथ फिर से मुकेश व उसके परिवार वाले मारपीट करने लग गये। मेरे ससुराल में मुझे खाना नहीं दिया जाता था खाने को ताले में रख दिया जाता था। वहाँ पर मुझे जबरदस्ती कुत्ते की लेटरीन खिलायी गयी जबरदस्ती मेरे को पेशाब पिलाया गया है यह कृत्य मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ किया है। मेरे पीहर से कोई मिलने जाता था तो उसके साथ मारपीट करते थे मेरा भाई रामेश्वर व सुरज्ञान मेरे से मिलने आये तो उनके साथ भी मारपीट करी थी फिर से एक लाख रूपये व मोटरसाईकिल की मॉग करते थे। मेरे पति मुकेश व ससुराल वालों ने मेरे पापा को नीम से बॉधकर बुरी तरफ से मारपीट करी थी यह सन 2010 की बात है। उसके बाद मेरे को 5–6 दिन तक कमरे में बन्द रखा खाना भी नहीं दिया कई बार मारपीट करने वाले आस पडौस के रमेश व अन्य लोगों ने मेरे को बचाया था। मैं वहाँ से जैसे तेसे अपनी जान बचाकर निकली थी। उसके बाद में रास्ते में 10–15 दिन बजारों के खेतो में बचकर छुपकर रही थी। उसके बाद मैं छुपते छुपाते अपनी जान बचाकर दौसा पहुँची। दौसा में गिरराजधरण मन्दिर पर मैं पुलिस को मिली थी। पुलिस ने मेरे को मेरे मामा को सुपुर्द किया। उसके बाद मैंने यह मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद भी मेरा पति मेरे को जान से मारने की धमकी देते है मेरे पति ने बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली है। उसके एक बच्चा भी हो गया है। मेरे से कहता है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं करेगी। मेरे को व मेरे छोटे भाई सुरज्ञान को मुकेश जान से मारने की धमकी देता है। मैं सन 2014 से गाँव में नहीं रह रही हूँ तथा मुझे शादी के समय मेरे घर वालों ने जो सामान दिया वह भी मेरे पति व ससुराल वालों ने अपने पास रख लिया तथा माँगने पर देने से इनकार कर दिया। विवाह के समय जो सामान दिया उसके बिल भी शादी के समय ही मेरे ससुराल वालों को दे दिये थे जो उन्हीं के पास है। मेरे द्वारा घटना रिपोर्ट जरिये इस्तगासा न्यायालय में दर्ज करायी थी जो प्रदर्श पी–1 है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। मेरे द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अनुसंधान के पश्चात एफआर लगा दी थी जिसके विरूद्ध मेरे द्वारा न्यायालय में नाराजगी पिटीशन पेश की जो प्रदर्श पी–2 है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से वी मेरे हस्ताक्षर है।

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि इस्तगासा प्रदर्श पी–2 पहले वाले वकील साहब ने टाईप कराया था। मेरी शादी के वक्त कक्षा–6 में पढ़ती थी और 18 साल की नहीं हुई थी। यह सही है कि मेरी शादी राजीखुशी से हुई थी। शादी के बाद मैं पीहर आ गयी थी। मैं उसके बाद पीहर में ही रह रही थी। शादी के बाद में पीहर वाले जो लेने गये थे वह भी राजीखुशी से गये थे ससुराल वाले भी शादी के बाद में राजीखुशी से गये थे। मेरा गोना राजीखुशी से हुआ था। यह बात सही है कि मेरे इस्तगासा प्रदर्श पी–3 में मेरा गौना सन 2013 में होने की बात गलत है। मेरा इस्तगासा प्रदर्श पी–3 का ए से बी भाग गलत लिखा है मेंने नहीं लिखाया है। मेरा पति मुकेश के दो भाई है। मेरे को नहीं पता है कि मुकेश के भाई

अलग रहते हो। मुकेश बडा है पप्पू छोटा है। पप्पु की शादी कब हुई मेरे को पता नहीं है। यह बात सही है कि मैं जब अपने ससुराल से पीहर आ गयी थी तब मेरे ससुर पंचपटेलों का लेकर मेरे पीहर आये थे। तब मैं अपने ससुराल चली गयी थी। तब मैं काफी समय तक ससुराल रही थी। उसके बाद मेरे मामा जी के यहाँ बिरखडी में पुलिस ने मेरे को सम्भलाया था तब मैं अपने गाँव आयी थी। मेरे को पुलिस ने गिरराजधरण मन्दिर से लगभग 3–4 बजे पकड़ा था उस वक्त मैं अकेली ही थी मेरे साथ कोई नहीं था। पुलिस ने मेरे मुकदमें को झूठा मानकर एफ आर पेश कर दी थी। मैं अपने पीहर मेरे पति मुकेश के डर से नहीं जाती हूँ क्योंकि उसने जान से मारने की धमकी दी है। यह सही है कि मैंने जो दहेज की माँग को लेकर मारपीट की बात कही है उसकी मैंने पूर्व में सिकन्दरा या मानपुर थाने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी थी ना ही शिकायत करी थी। मेरे को जयपुर रहते 5–6 साल हो गये है।

11. गवाह पीडब्ल्यू–4 मनभावन अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि मुझे घटना के बारे में कुछ नहीं पता। अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। जिरह अभियोजन में गवाह ने कथन किये कि पुलिस बयान प्रदर्श पी 3 का सम्पूर्ण भाग पढकर सुनाया व पूछा तो गवाह ने ए से बी भाग गलत होना बताया। यह कहना गलत है कि मैं अभियुक्तगण को बचाने के लिए झुठे बयान दे रहा हूँ। यह कहना सही है कि मैने मारपीट करते हुए मुकेश को सुशीला के साथ देखा था। किस बात की मारपीट की थी मुझे पता नहीं है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा गवाह से जिरह नहीं की गयी।

12. गवाह पीडब्ल्यू–5 केशन्ता अपने मुख्य परीक्षण में कथन करती है कि मेरी बहन सुशीला की शादी सन् 2004 में मुकेश के साथ हुई थी। शादी में सोने चाँदी के जेवरात व घरेलू बरतन, व अन्य घर गृहस्थी का सामान दिया था। 6 साल बाद सुशीला का गोणा किया था। जब सुशीला ससुराल गयी तो उसका ससुर रामप्रताप, सास बच्ची देवी पति मुकेश उसके साथ मारपीट करने लग गये और कहते थे की दो लाख रूपये और एक मोटरसाईकिल लेकर आ तभी रखेंगे अन्यथा नहीं रखेंगे। सन् 2010 में मुकदमा किया था जिसमें राजीनामा हो जाने पर वापस भेज दिया था लेकिन बाद में भी उन लोगो में कोई परिवर्तन नहीं आया तथा सुशीला से दहेज की मांग की और मारपीट करके उसको बाहर निकाल दिया। पैसे की मांग व मारपीट के बारे में मुझे सुशीला ने बताया था।

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि यह बात सही है कि मेरी आँखो के सामने सुशीला के साथ मारपीट नहीं की थी। यह बात सही है कि मुझे तो लोगो ने बताया तब पता चला था की सुशीला के साथ मारपीट हुई है।

13. इस प्रकार पत्रावली पर आयी मौखिक साक्ष्य से एवं गवाहान के न्यायालय के समक्ष दिये गये बयानों से यह न्यायालय इस मत का है कि जनरल व वेग एलिगेशन लगाते हुए दहेज के लिए कारित आरोप के संबंध में आरोप पत्र पेश किया गया है। परिवादिया सुशीला पीडब्ल्यू–3 द्वारा दौराने साक्ष्य इस तथ्य का कथन किया है कि सुशीला की शादी मुकेश के साथ व केशन्ता की शादी बदन सिंह के साथ 12 मई 2004 को हुयी थी। उसका गौना सन' 2010 में हुआ था। शादी में उसके पिताजी ने दहेज का सामान दिया। गवाह द्वारा कथन किया गया कि उसके ससुराल में दहेज के लिए उसका पति मुकेश, पप्पु, बनेसिंह, लक्ष्मण,

सास बच्ची उसके साथ मारपीट करते थे। परंतु गवाह ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि उसकी शादी मुकेश के साथ राजीखुशी से हुयी थी। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि इस्तगासा प्रदर्श पी 3 में उसका गौना सन 2013 में होने की बात गलत है। परिवादिया ने दहेज की मांग को लेकर अभियुक्त मुकेश द्वारा मारपीट की गयी उसकी उसने पूर्व में सिकन्दरा या मानपुर थाने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी ना ही शिकायत करी। वहीं पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि परिवादिया के साथ अभियुक्ता बच्ची देवी द्वारा मारपीट की हो इस संबंध में परिवादिया की कोई मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है। जहां तक प्रकरण में पीडिता व अन्य गवाहान द्वारा अभियुक्त द्वारा दहेज मांगने संबंधी कथन किये हैं, परंतु दहेज मांगने की दिनांक या पीडिता के साथ शारीरिक व मानसिक प्रताडना देने के संबंध में कोई दिनांक का उल्लेख किसी भी गवाह ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। गवाह पीडब्ल्यू 5 केशन्ता जो कि परिवादिया सुशीला की बहन है अपने मुख्य परीक्षण में गवाह कथन करती है कि उसकी बहन सुशीला से सुशीला के ससुर रामप्रताप, सास बच्ची देवी, पति मुकेश उसके साथ दहेज की मांग करते व मारपीट करते थे। वहीं गवाह प्रतिपरीक्षण में विपरीत कथन करती है कि उसकी आंखों के सामने सुशीला के साथ मारपीट नहीं की गयी उसे तो लोगों ने बताया तब पता चला की सुशीला के साथ मारपीट हुयी है। जिससे प्रतीत होता है कि गवाह सुनी सुनायी साक्ष्य के आधार पर बयान देना बताती है। जो कि प्रकरण में संदेह उत्पन्न करता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि परिवादिया अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं की शादी सन 2004 में एवं गौना सन 2010 में होना बताती है परंतु प्रतिपरीक्षण में परिवादिया यह स्वीकार करती है कि उसके द्वारा इस्तगासा प्रदर्श पी 1 में गौना सन 2013 में गलत लिखवाया गया है उक्त तथ्य संदेहास्पद प्रतीत होते हैं। प्रकरण के अन्य गवाह पीडब्ल्यू 1 शम्भूदयाल ने जहां एक ओर अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि अभियुक्त मुकेश के पिताजी दहेज के लिए सुशीला को परेशान करते थे वहीं प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि उसने उनके आपस में कहासुनी झगडा होते हुए नहीं देखा। मुकेश के पिताजी ने उसके सामने कभी दहेज की बात नहीं की ना ही कोई मारपीट हुयी। उक्त गवाह के कथनों से मुख्य परीक्षण व प्रतिपरीक्षण में विरोधाभास उत्पन्न होना प्रकट होता है। प्रकरण के अन्य गवाह पीडब्ल्यू 2 रामेश्वर ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि सुशीला का पति मुकेश, ससुर रामप्रताप, सास बच्ची देवी, देवर दहेज के लिए परेशान करते थे। वहीं प्रतिपरीक्षण में गवाह ने इस तथ्य से अनभिज्ञता जतायी कि 6 माह से सुशीला कहां रह रही है इस संबंध में उसे जानकारी नहीं। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसके सामने सुशीला से ना तो दहेज की मांग की गयी ना ही कोई मारपीट की गयी। प्रकरण की अन्य गवाह पीडब्ल्यू 4 मनभावन पक्षद्रोही रही है जो कि घटना के बारे में जानकारी होने के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर करती है। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर आया कि जहां तक प्रकरण में पीड़िता व अन्य गवाहान ने अभियुक्त द्वारा दहेज मांगने संबंधी कथन किये हैं, परन्तु दहेज मांगने की दिनांक या पीड़िता के साथ शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देने के संबंध में कोई दिनांक का उल्लेख किसी भी गवाह ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। गवाह पीडब्ल्यू 1 शम्भूदयाल,पीडब्ल्यू 2 रामेश्वर, पीडब्ल्यू 5 केशन्ता ने दहेज मांगने व मारपीट करने वाली बात परिवादिया सुशीला द्वारा बताना बताया है। उक्त गवाहान के द्वारा स्वयं के

सामने आरोपी बच्ची द्वारा परिवादिया से मारपीट करने व दहेज मांगने के तथ्य को इन्कार किया है। आरोपी बच्ची देवी ने पीडिता सुशीला से कब–कब किस–किस दिनांक को दहेज की मांग की इस संबंध में स्वयं परिवादिया सुशीला व अन्य गवाहान के द्वारा कोई कथन नहीं किया गया। परिवादिया अपने इस्तगासे में अपना गौणा सन 2013 में होना बताती है जबकि अपने बयानों में परिवादिया अपना गौणा सन 2010 में होना कहती है जो कि विरोधाभासी कथन है। परिवादिया के भाई रामेश्वर ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि परिवादिया ने सन 2010 में जो मुकदमा कराया था वह झूंठा दर्ज कराया था। प्रकरण में परिवादिया सुशीला के साथ आरोपी बच्ची देवी द्वारा कोई मारपीट की गयी हो इस संबंध में परिवादिया की कोई मेडीकल रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है। ऐसे में उक्त गवाहान द्वारा दी गयी साक्ष्य में परस्पर भारी विरोधाभास है एवं सभी गवाहान हितबद्ध साक्षी भी हैं। अतः यह न्यायालय इस मत का है कि धारा 498(ए) भारतीय दण्ड संहिता के आरोप के संबंध में जो साक्ष्य पत्रावली पर आयी है उससे अभियोजन कहानी संदेह से परे साबित नहीं होती हैं। इस प्रकार अभियुक्ता इस अपराध के संबंध में संदेह का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी है।

14. जहां तक धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का संबंध है तो इस संबंध में अभियोजन को यह साबित करना है कि परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्त व उसके परिवारजन को जो स्त्रीधन न्यस्त किया गया था और अभियुक्त से परिवादिया द्वारा वह स्त्रीधन मांगा हो और वापस मांगे जाने पर वह स्त्रीधन अभियुक्त ने परिवादिया को वापस नहीं लौटाया हो? इस संबंध में इस्तगासा प्रदर्श पी–1 का अवलोकन करते हैं तो परिवादिया ने यह तथ्य अंकित किया है कि " विवाह में प्रार्थीया के माता पिता ने दहेज में दो सोने की अंगूठी चवन्नी भर, दो चांदी की अंगूठी चवन्नी भर, बाटा सोने का अठन्नी भर, सोने की एक तोला जंजीर, पायजेब चांदी की 25 भरी, कणकती 25 भरी चांदी की, पांच बर्तन एवम 21,000 /–रूपये नकद दिये थे एवम विवाह में 200 बाराती आये थे जिनकी खाने एवम व्यवस्था में लगभग एक लाख रूपये खर्च किये थे।" लेकिन इस न्यायालय के मत में उपरोक्त सामान दिया जाने का कोई फोटोग्राफ, बिल रसीद इत्यादि पत्रावली पर पेश नहीं किये हैं, ना ही अनुसंधान अधिकारी बयान हेतु प्रकरण में परीक्षित हुआ है। अभियुक्त को सामान सौंपा गया हो ऐसा कोई कथन अभियोजन साक्ष्य के किसी भी गवाह ने नहीं किया है। उक्त सामान को अभियुक्ता ने परिवादिया से छीनकर अपने पास रख लिया हो और अपने ससुराल से पीहर आते समय परिवादिया सामान को अभियुक्ता बच्ची को न्यस्त करके आयी हो इस बाबत् भी कोई कथन पत्रावली पर नहीं है। इस न्यायालय के मत में यह है कि परिवादिया ने मात्र सामान्य आरोप लगाये है। किस तिथि को परिवादिया ने अपना सामान वापिस मांगा और अभियुक्त ने देने से मना किया? परिवादिया ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त को सामान न्यस्त करने और परिवादिया द्वारा अभियुक्त से सामान वापस मांगे जाने और अभियुक्त द्वारा मांगे जाने पर नहीं लौटाये जाने बाबत् कोई कथन नहीं किया है। परिवादिया सुशीला पीडब्ल्यू–3 द्वारा अपने इस्तगासे एवं दौराने न्यायालय साक्ष्य ऐसा कोई कथन नहीं किया है जो यह बताता हो कि वक्त विवाह परिवादिया का स्त्रीधन अभियुक्त को न्यस्त किया हो और अभियुक्त से किसी निश्चित दिनांक को मांगा गया हो और उसने देने से मना कर दिया हो। परिवादिया के भाई रामेश्वर ने भी इस बाबत् कोई कथन अपने मुख्य परीक्षण में नहीं किया।

**Seema Karol,**
**UID No. RJ00828**
**ACJM No. 1 Dausa**

इस गवाह ने भी अभियुक्त को स्त्रीधन को न्यस्त किया जाना और उससे मांगे जाने पर लौटाये जाने का कोई कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में परिवादिया के द्वारा इस्तगासा में यह कथन कि अभियुक्त ने सामान स्त्रीधन नहीं लौटाया आपराधिक न्यासभंग नहीं माना जा सकता। इस प्रकार पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विवेचन के उपरान्त इस न्यायालय के मत में यह है कि धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में जो साक्ष्य पत्रावली पर आयी है उससे धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के घटकों की पूर्ति नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार अभियुक्ता बच्ची देवी के विरूद्ध धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध भी संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता हैं। अभियोजन की ओर से दौराने बहस पेश किये गये न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं।

15. अतः पत्रावली पर आयी उपरोक्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्ता बच्ची देवी के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध को सन्देह से प्रमाणित करने में असफल रहा है। ऐसे में अभियुक्ता बच्ची देवी आरोपित अपराध में सन्देह के आधार पर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

## आदेश

16. अतः अभियुक्ता बच्ची देवी पत्नि रामप्रताप निवासी ग्राम बुडली पुलिस थाना सिकन्दरा जिला दौसा को धारा 498(ए), 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों के आरोप से सन्देह के आधार पर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्ता की उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत पूर्व के जमानत–मुचलके तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

17. उक्त प्रकरण में अभियुक्त रामप्रताप पुत्र हड्डूराम की मृत्यु होने से दिनांक 03–02–2024 को कार्यवाही ड्रॉप की गयी। वहीं प्रकरण में अभियुक्त मुकेश पुत्र रामप्रताप के मफरूर होने से पत्रावली पर लाल स्याही से इस आशय का नोट लगाया जावे कि प्रकरण में मुकेश पुत्र रामप्रताप मफरूर है और पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जावे।

18. प्रकरण में जब्तशुदा सामान का बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण कर दिया जावे।

19. धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त 06 माह की अवधि में अपीलीय न्यायालय में तलब करने पर उपस्थित रहने के लिये दस हजार रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करे।

**(सीमा करोल)**
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01
दौसा, जिला दौसा(राज०)

20. निर्णय आज दिनांक 06/04/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।

**(सीमा करोल)**
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01
दौसा, जिला दौसा(राज०)

**Seema Karol,**
**UID No. RJ00828**
**ACJM No. 1 Dausa**